तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1181/2003/भरतपुर शीला बनाम जगतसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 20.06.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-01-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा निगराधीन निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने विधिक प्रावधान है। प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निगरानी के माध्यम से आक्षेपित किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संधारण योग्य नहीं है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में प्रार्थी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है। न्यायशाखा प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिवक्ता प्रार्थी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1181/2003/भरतपुर शीला बनाम जगतसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी के साथ प्रस्तुत असल दस्तावेज नियमानुसार लौटाये। आदेश की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	